भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
(रेलवे बोर्ड **RAILWAY BOARD)**

Sub: 11th Session of 17th Lok Sabha and 259th Session of Rajya Sabha - Replies to Starred Questions.

The programme of sittings and allotment of days for answering Questions, both in Lok Sabha and Rajya Sabha during the 11th Session of 17th Lok Sabha and 259th Session of Rajya Sabha, which commence from 31st January, 2023 has been circulated vide Parliament Branch's letter of even number dated 16.01.2023.

2. In order to meet the requirement of briefing schedule and also to obtain approval of Hon'ble MR to the replies to the Parliament Questions, the following time schedule should be strictly adhered to:-

Day of Answering Questions	Day of receipt of Provisional list of admitted Questions	Bilingual draft reply and Note for Supplementaries to be submitted to Parl. Br latest by	Files of Starred & Unstarred Questions to be submitted to MR Cell latest by	Hon'ble MR Briefings for Starred Questions
Wednesday (Lok Sabha)	**Previous Wednesday**	**Friday (1730 hrs)**	**Friday evening**	**Monday 1000 hrs onwards at a time convenient to Hon'ble MR.**
Friday (Rajya Sabha)	**Previous Friday**	**Monday (1730 hrs)**	**Monday evening**	**Wednesday 1000 hrs onwards at a time convenient to Hon'ble MR.**

3. It may be noted that unless the draft replies, including Note for Supplementaries (in bilingual) along with 'Profile of MP(s)', in respect of the Starred Questions are submitted as per targets indicated above, it will not be feasible to hold 'Briefing Meetings' with Hon'ble MR, as per schedule. Necessary arrangements may accordingly be made to ensure that the complete draft replies along with Note for Supplementaries etc. in respect of the Starred Questions are made available to the Parliament Branch, as per the targets indicated above.

4. The guidelines (in brief) for processing of Starred and Unstarred Questions are available on the railnet: 10.1.2.21 in – Directorates →Secretary Branches (Railnet) →Parliament.

5. It needs to be noted that copies of replies to Starred and Unstarred Questions, duly approved by MR are required to be sent to Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat by 1500 hrs. and 1700 hrs respectively on the day preceding the Question day. **Lok Sabha Secretariat has pointed out that replies to Parliament Questions are not being uploaded as per prescribed schedule, by this Ministry. All concerned officers may, therefore, be directed to strictly adhere to the schedule for submission of files of Parliament Questions.** Further, as MR office have indicated that files, if submitted late, will not be accepted from Parliament Branch, the concerned Board Members are requested to direct the concerned Directorates to get the approval of Hon'ble MR, directly in case of delay.

--2/-

6. It may also be ensured that the draft replies to Starred Questions and Note for Supplementaries etc. are prepared in the prescribed format and are error-free so that the same can be submitted to Hon'ble MR, in a presentable manner. Also, Hindi version of the reply should be available on the file at the time of handing over the file to Parliament Branch, for onward submission to Hon'ble MoSR(D).

7. It has also been decided that whenever Parliament Questions are admitted as Starred Questions concerning Public Sector Undertakings under the Ministry of Railways, the concerned Managing Director along with the Board Member, who is also the part time Chairman of the organisation, should be present during the briefing meetings conducted by Hon'ble MR.

Secretary/Railway Board 28/1/23

No.2023/Parl/13/COSH
New Delhi, dated: 28.01.2023

(i) All Officers & Branches in Ministry of Railways at Rail Bhawan, COFMOW Building, Tilak Bridge and RPSF office, Dayabasti, Delhi.

(ii) MDs of Braithwaite & Co. Ltd., CONCOR, CRIS, DFCCIL, HMRDCL, IRCON, IRCTC, IRFC, IRWO, KMRCL, KRCL, MRVC, NHRCL, RAIL-TEL, RCIL, RITES, RLDA & RVNL.

Copy to:

1. CRB & CEO, M(Fin), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD) & ED(CC).
2. Adv/MR, OSD/MR, OSD(Co-ord)/MR, EDPG/MR, PS/MoSR(D), EDPG/MoSR(D), PS/MoSR(J), EDPG/MoSR(J) & DPG/MoSR(J).
3. PED(IR) & Director (OL).

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

विषयः सत्रहवीं लोक सभा का ग्यारहवां सत्र और राज्य सभा का दो सौ उनसठवां सत्र - तारांकित प्रश्नों के उत्तर।

सत्रहवीं लोक सभा का ग्यारहवां सत्र और राज्य सभा का दो सौ उनसठवां सत्र जो 31 जनवरी, 2023 से शुरू हो रहा है, के दौरान लोक सभा और राज्य सभा दोनों में, बैठकों के कार्यक्रम और प्रश्नों के उत्तर देने हेतु दिनों के आबंटन के संबंध में परिपत्र, संसद शाखा के दिनांक 16.01.2023 के समसंख्यक पत्र द्वारा परिपत्रित किया गया था।

2. ब्रीफिंग कार्यक्रम का अनुसरण करने और संसदीय प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में माननीय रेल मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भी निम्न समय कार्यक्रम का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाए:

उत्तर देने का दिन	स्वीकृत प्रश्न की अनंतिम सूची की प्राप्ति तिथि	द्विभाषिक मसौदा उत्तर और पूरक प्रश्नों के लिए नोट को संसद शाखा में प्रस्तुत किया जाना	तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों की फाइलों को रेल मंत्री कक्ष में भेजा जाना	तारांकित प्रश्नों के लिए माननीय रेल मंत्री की ब्रीफिंग
बुधवार (लोक सभा)	**पिछला बुधवार**	**शुक्रवार (1730 बजे)**	**शुक्रवार शाम**	**सोमवार 1000 बजे से माननीय रेल मंत्री की सुविधानुसार किसी भी समय**
शुक्रवार (राज्य सभा)	**पिछला शुक्रवार**	**सोमवार (1730 बजे)**	**सोमवार शाम**	**बुधवार 1000 बजे से माननीय रेल मंत्री की सुविधानुसार किसी भी समय**

3. यह नोट किया जाए कि जब तक ऊपर दर्शाए गए लक्ष्यों के अनुसार तारांकित प्रश्नों को 'सदस्यों के प्रोफाइल' के साथ पूरक प्रश्नों के नोट सहित मसौदा उत्तर को द्विभाषिक में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माननीय रेल मंत्री के साथ 'ब्रीफिंग मीटिंग' आयोजित करना संभव नहीं होगा। अत: पर्याप्त प्रबंध किए जाएं कि ऊपर दर्शाए गए लक्ष्यों के अनुसार तारांकित 'प्रश्नों के पूरक प्रश्नों के लिए नोट', इत्यादि सहित पूर्ण मसौदा उत्तर, संसद शाखा में उपलब्ध कराया जाए।

4. तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देश (संक्षेप में) रेलनेट: 10.1.2.21 लिंक – निदेशालय →सचिव शाखाएं (रेलनेट) → संसद पर उपलब्ध हैं।

5. यह नोट करने की आवश्यकता है कि रेल मंत्री द्वारा यथोचित रूप से अनुमोदित तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों की प्रतिलिपियों को प्रश्न दिवस के पूर्व वाले दिन लोक सभा और राज्य सभा को क्रमश: 1500 और 1700 बजे तक भेजा जाना अपेक्षित है। **लोकसभा सचिवालय ने बताया है कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संसदीय प्रश्नों के जवाब अपलोड नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों को संसद प्रश्नों की फाइलों को प्रस्तुत किए जाने संबंधी कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करने का निदेश दिया जाता है।** इसके अतिरिक्त, जैसा कि रेल मंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया है, यदि फाइलों को देर से प्रस्तुत किया जाता है तो संसद शाखा से स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए संबंधित बोर्ड सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि देरी के मामले में संबंधित निदेशालय को माननीय रेल मंत्री से सीधे अनुमोदन प्राप्त करने के निदेश दिए जाए।

6. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि तारांकित प्रश्नों के मसौदा उत्तर और 'पूरक प्रश्नों के लिए नोट' इत्यादि को केवल निर्धारित फार्मेट में ही तैयार किया जाए और ये त्रुटि रहित हों ताकि इसे माननीय रेल मंत्री जी को आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत किया जा सके। माननीय रेल राज्य मंत्री (डी) को आगे प्रस्तुत करने के लिए संसद शाखा को फ़ाइल सौंपते समय उत्तर का हिंदी संस्करण फ़ाइल पर उपलब्ध होना चाहिए।

7. यह भी विनिश्चय किया गया है कि जब कभी रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित तारांकित प्रश्नों के रूप में संसदीय प्रश्नों को स्वीकृत किया जाता है, बोर्ड सदस्य जो संगठन के अंशकालिक अध्यक्ष भी होते हैं, सहित संबंधित प्रबंध निदेशक को माननीय रेल मंत्री द्वारा की जा रही ब्रीफिंग के दौरान उपस्थित होना चाहिए।

28/1/23

सचिव/रेलवे बोर्ड

संख्या.2023/पार्ल/13/सीओएसएच

नई दिल्ली, दिनांक- 28.01.2023

i. रेल मंत्रालय के रेल भवन, कॉफमॉ बिल्डिंग, तिलक ब्रिज एवं आर.पी.एस.एफ. कार्यालय, दयाबस्ती, दिल्ली के सभी अधिकारी एवम् शाखाएँ।

ii. ब्रैथवेट निगम लिमिटेड, कॉनकोर, क्रिस, डीएफसीसीआईएल, एचएमआरडीसीएल, इरकॉन, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, इरवो, केएमआरसीएल, केआरसीएल, एमआरवीसी, एनएचआरसीएलए, रेलटेल, आरसीआईएल, राइट्स, आरएलडीए और आरवीएनएल के प्रबंध निदेशक।

प्रतिलिपिः-

1. सी.आर.बी. एवं सी.ई.ओ. , एम(एफ), एम(इन्फ्रा), एम(टी एवं आर.एस.), एम(ओ. एवं बी.डी.) और कार्यपालक निदेशक (समवेत समन्वय)।
2. सलाहकार /रेल मंत्री, वि.का.अधि./रेल मंत्री, वि.का.अधि.(समन्वय)/रेल मंत्री, का.नि.ज.शि./रेल मंत्री, निजी सचिव/ रेल राज्य मंत्री (डी), का.नि.ज.शि./रेल राज्य मंत्री (डी), निजी सचिव/ रेल राज्य मंत्री (जे), का.नि.ज.शि./रेल राज्य मंत्री (जे) और नि.ज.शि./रेल राज्य मंत्री (जे)।
3. प्र.का.नि./ आई.आर.और निदेशक (राजभाषा)।
